

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली जिला सवाई माधोपुर

जरीन अधिकारी श्री बदीनारायण मीना आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या - 26/2019

1. श्रवण पुत्र गोपी मीना उम्र 75 वर्ष जाति मीना निवासी घाटा नैनवाडी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुरप्रार्थीगण

बनाम

शर जरिये तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर (राज0)

.....अप्रार्थी

धत :- श्री ओमप्रकाश सोनी एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा 111 व 128, 129 भू. राजस्व अधिनियम 1956

बाबत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी

दिनांक 22.8.22

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दायर किया है कि ग्राम घाटा नैनवाडी ल बौली हाल तहसील मित्रपुरा की जमाबंदी संवत् 2070 के खाता सं0 398 में स्थित खसरा नम्बर रकबा 0.53 है0किस्म बरानी 2 किता 1 कुल रकबा 0.53 है0, में स्थित है। प्रार्थी की री/काश्तकारी की भूमि पर कब्जा काश्त स्वयं प्रार्थी खातेदार का है। जिस पर प्रार्थी का लगातार काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अडोसी-पडोसी खातेदारानों व खातेदार के बीच है। प्रार्थीगण उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवा ना चाहता है। पत्थरगढी करवायी जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल उपस्थित इस कारण एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबंदी संवत् 2070 के खाता सं0 398 में खसरा नम्बर 1448 रकबा 0.53 है0किस्म बरानी 2 किता 1 कुल रकबा 0.53 है0 भूमि घाटानैनवाडी व मित्रपुरा में स्थित है। इस बाबत पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गयी। पटवारी हल्का गोतोड ने रिपोर्ट में यह अंकन किया कि ग्राम घाटानैनवाडी तहसील मित्रपुरा के खाता सं0 398 में स्थित नम्बर 1448 रकबा 0.53 है0किस्म बरानी 2 किता 1 कुल रकबा 0.53 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी कौंड है।

(Signature)

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

उक्त भूमि पर खातेदार द्वारा ही कब्जा काश्त की जा रही है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अडोसी-पडोसी खातेदारानों व खातेदार के बीच विवाद है। उक्त भूमि की सीमाओं की सही जानकारी सीमाज्ञान/पत्थरगढी करने पर ही मालूम किया जाना संभव है।

मुताबिक जमाबंदी उक्त आराजीयात प्राथीगण के खातेदारी की होना प्रथम दृष्टया सिद्ध पाया गया। उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान खातेदार के हक सुरक्षित रखने हेतु सीमाज्ञान आवश्यक है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार बौली को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम घाटा नैनवाडी तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर में स्थित खाता सं० 398 में स्थित खसरा नम्बर 1448 रकबा 0.53 है०किस्म बारानी 2 किता 1 कुल रकबा 0.53 है० अडोस-पडोस के खेतों में फसल सरसब्ज न होने पर अर्थात् पडोस से खेत खाली होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर सीमांकन कर पत्थरगढी करावें। पत्थरगढी का व्यय प्रार्थी स्वयं वहन करेगा। फालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।



(Handwritten signature)

(बद्री नारायण मीना)

उप जिला कलेक्टर
बौली बौली स.मा. माधोपुर

आदेश आज दिनांक 22.8.22 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(Handwritten signature)

उप जिला कलेक्टर
बौली बौली स.मा. माधोपुर